

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

पार्थी : श्रीमती जमनीबाई

विपक्षी : राजस्थान राज्य

केसम मुकदमा - 88,188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 225 / 14

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पाटी  
तथा सूचनाएं  
जारी की गईं

दिनांक 08.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प महुडा में पेश हुई। वादीयां जमनीबाई फौत हो चुकी हैं। वादीयां के वारिस रतनसिंह पिता भीमसिंह द्वारा उपस्थित होकर वारिस कायमी नहीं कराना चाहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीयां जमनीबाई की मृत्यु माह मई 2021 में हो चुकी हैं, जिसे लगभग 6 माह से ऊपर का समय हो चुका है परन्तु अब तक वारिस कायमी नहीं कराई गई है। वादीयां के वारिस रतनसिंह द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में वारिस कायमी नहीं कराना चाहा एवं प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण में वादीयां के लगभग 6 माह पूर्व फौत होने से वारिस कायमी नहीं कराई है। अतः वारिस कायमी नहीं कराये जाने से वादीयां का वाद अबेट किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय सुनाया गया।



## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती जमनीबाई पत्नी भीमसिंह राव निवासी महुडा तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर।
2. तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का महुडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा न0 : 225 / 14 (वाद) GCMS No. – 2014 / 00155**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का  
अबेट किया जाकर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.11.2021 को जारी की  
गई।